—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 87/2018

उनवान

भंवर सिंह पुत्र केसर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नान्दला, नसीराबाद
——प्रार्थी :—जरियें अधिवक्ता श्री जितेन्द्र गुर्जर

बनाम

1. प्रेम कंवर पत्नी दशरथ सिंह
2. धारा सिंह पुत्र दशरथ सिंह
3. विजय सिंह पुत्र दशरथ सिंह
4. राज कंवर पुत्री दशरथ सिंह समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम नान्दला, नसीराबाद
5. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :— 1 से 4 अनुपस्थित
5 जरियें राज. पेरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: आदेश :—

दिनांक :— 20.11.24

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम नान्दला के हाल खसरा नम्बर 3489 रकबा 0.85 जिसके साबिक खसरा नम्बर 3542 रकबा 5—5—0 व हाल खसरा नम्बर 3483 रकबा 1.01 के साबिक खसरा नम्बर 3537 रकबा 6—4—0 की आराजी रानिवास पुत्र देवकरण जाति महाजन द्वारा जरियें पंजीकृत विकय पत्र वर्ष 1978 में प्रार्थी को बैचान की थी। उक्त आराजी का कब्जा तत्समय ही प्रार्थी को सुपुर्द कर दिया था। उक्त आराजी का विकय पत्र करवाते समय खसरा नमबर 3537 में प्रार्थी का नाम केता के रूप में अंकित नही किया गया, तथा प्रार्थी के भाई दशरथ सिंह पुत्र केसर सिंह का नाम सहवन से अंकित कर दिया गया। दशरथ सिंह द्वारा उक्त भूमि कभी भी कय नही की गयी। दशरथ सिंह की मृत्यु के बाद उक्त आराजी अप्रार्थीगण के नाम अंकित कर दी गयी। अप्रार्थीगण व उनके पूर्वज दशरथ सिंह ने पूर्व में उकत आराजी प्रार्थी के नाम दर्ज करवाने का आश्वासन दिया किन्तु भूमि की कीमत बढने के कारण अप्रार्थीगण आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी कर रहे है व अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जावे की आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखल नही करे भूमि का अन्यत्र हस्तांतरण/बैचान नही करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के विरूद्व विधिवत रूप से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:06:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रथम दृष्टया मामला :–

प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि हाल खसरा नम्बर 3489 रकबा 0.85 जिसके साबिक खसरा नम्बर 3542 रकबा 5–5–0 व हाल खसरा नम्बर 3483 रकबा 1.01 के साबिक खसरा नम्बर 3537 रकबा 6–4–0 की आराजी रानिवास पुत्र देवकरण जाति महाजन द्वारा जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र वर्ष 1978 में प्रार्थी को बैचान की थी। उक्त आराजी का कब्जा तत्समय ही प्रार्थी को सुपुर्द कर दिया था। उक्त आराजी का विक्रय पत्र करवाते समय खसरा नमबर 3537 में प्रार्थी का नाम क्रेता के रूप में अंकित नही किया गया, तथा प्रार्थी के भाई दशरथ सिंह पुत्र केसर सिंह का नाम सहवन से अंकित कर दिया गया। किन्तु पंजीकृत विक्रय पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि दुरूस्त करवाने हेतु क्रेता व विक्रेता की सहमती आवश्यक है। आराजी मुतनाजा के विक्रय पत्र में प्रार्थी का नाम क्रेता के रूप में अंकित नही होने के कारण ही आराजी मुतनाजा दशरथ सिंह के नाम राजस्व अभिलेख में सही रूप से अंकित की गयी। अप्रार्थीगण आराजी मुतनाजा के खातेदार है। जिन्हे पाबंद किया जाना न्यायोचित नही है। प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेज व प्रार्थना पत्र के तथ्यों से वर्तमान इन्द्राज प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण सिद्व नही होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से ही तय होगे। प्रकरण प्रथम दृष्टया विरूद्व प्रार्थी तय किया जाता है।

2. सुविधा का संतुलन :–

न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन क़ा निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व नही होता है। अप्रार्थीगण आराजी मुतनाजा के रिकार्डेड खातेदार है। तद्नुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थी सिद्व नही होता है। शेष तथ्यो का गुणावगुण पर निस्तारण मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

3. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :–

विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में आराजी मुतनाजा हाल व साबिक राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के नाम दर्ज नही है। विक्रय पत्र में त्रुटि के तथ्य मूलल वाद में साक्ष्य आदि से ही सिद्व होगे। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्व नही होती है।

आदेश :– अतः ग्राम नान्दला के हाल खसरा नम्बर 3489 रकबा 0.85 की आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:06:57 IST
Reason: SelfAttested